न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.

मुकदमा संख्या:– दावा संख्या 03/2014

निर्णय दिनांक :– 30-10-2019

1. श्रीमती मंजूदेवी धर्मपत्नि भीष्मकुमार जाति ब्राहमण निवासी रतनगढ जि. चूरू

... वादी

बनाम

1. रघुराजसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी रतनगढ जिला चूरू
2. आनन्दीलाल पुत्र जिनकूराम जाति माली निवासी रतननगर जिला चूरू
3. श्रीमती गीता पुत्री जिनकूराम जाति माली निवासी रतननगर जिला चूरू
4. श्रीमती चूनी बेवा जोधाराम जाति माली निवासी शास्त्रीनगर रतनगढ
5. जगनाराम
6. गौरीशंकर
7. भंवरलाल
8. गिरधारीलाल

(5–8) पुत्रगण जोधाराम जाति माली नि. रतनगढ

9. नागरमल
10. श्रीमती गिनीया पत्नी रामकुमार जाति माली नि. खेमका सती मदिंर के पास चूरू
11. श्रीमती मंजू पत्नी रामूजी माली निवासी आडसर बास श्री डूंगरगढ
12. श्रीमती किरण पत्नी विजयकुमार माली नि. फतेहपुर बाई पास सब्जी बाड़ी फतेहपुर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रतनगढ जिला चूरू

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित:–

1. श्री देवेन्द्रकुमार चोटिया, अभिभाषक वादी
2. श्री परमानन्द भांभू अभिभाषक प्रतिवादीगण
3. पैरोकार राज

30.10.19
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

दावा विभाजन अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

वादीनी मंजूदेवी की ओर से यह दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत खाता एवं लगान विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा के लिए दिनांक 8.1.2014 को प्रस्तुत किया गया। दावा प्राथमिक रूप से दिनांक 26.12.2016 को डिक्री किया जाकर मौके की कब्जा काश्त की स्थिति के अनुसार वादगत भूमि खेत ख.नं. 570/87 तादादी 25 बीघा 17 विश्वा यानि 6.5382 हैक्टयर रोही ग्राम जालेउ बड़ी तहसील रतनगढ में वादीनी के 1/4 हिस्सा भूमि का विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार रतनगढ से मंगवाया गया। तहसीलदार रतनगढ की ओर से दिनांक 16.10.2019 को मौका की कब्जा काश्त की स्थिति के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस विद्वान अभिभाषक एवं पैरोकार राज सुनी गई। विभाजन प्रस्ताव एवं राजस्व रेकार्ड का भलिभातीं अवलोकन किया गया। वादी की ओर से विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपति नही होना जाहिर किया गया है। पैरोकार राज ने भी विभाजन प्रस्ताव के अनुसार खाता एवं लगान कायम करने में कोई आपति नही की है। भूमि का विभाजन प्रस्ताव राजस्व रेकार्ड एवं कब्जा काश्त के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। अतः दावा वादी अतिंम रूप से डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

दावा वादी अतिंम रूप से डीक्री किया जाता है। वादगत भूमि का खाता एवं लगान का विभाजन निम्न प्रकार से करने के आदेश दिये जाते है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	क्षैत्रफल है. में	लगान
1.	मंजूदेवी पत्नी भीष्मकुमार जाति ब्राहमण निवासी रतनगढ खातेदार	570/87 मी. पश्चिमी	1.6345 बा.सो.	

Sd/- 30.10.19
उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

2.	आनन्दीलाल पुत्र भगवानी हि. 253 / 7755 जाति माली नि. रतननगर खातेदार, गीता पुत्री भगवानी हि. 1292 / 7755 जाति माली नि. रतननगर खातेदार, रघुराजसिंह पुत्र गणपतसिंह हि. 3625 / 7755 जाति राजपूत नि. रतनगढ खातेदार राहिन बीओबी शाखा रतनगढ, किरण पुत्री जोधाराम हि. 2585 / 69795, गिनिया पुत्री जोधाराम 2585 / 69795 हि., गिरधारीलाल पुत्र जोधाराम हि. 2585 / 69795, गौरीशंकर पुत्र जोधाराम हि. 2585 / 69795, चुनीदेवी पत्नी जोधाराम हि. 2585 / 69795, जगनाराम पुत्र जोधाराम हि. 2585 / 69795, नागरमल पुत्र जोधाराम हि. 2585 / 69795, भंवरलाल पुत्र जोधाराम हि. 2585 / 69795, मंजू पुत्री जोधाराम हि. 2585 / 69795, जाति माली निवासी रतनगढ खातेदार	570 / 87 मी. पूर्वी	4.9037 बा.सो.	

तहसीलदार रतनगढ डिक्री का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। अतिंम पर्चा डिक्री नियमानुसार जारी हो।

आदेश आज दिनांक 30-10-2019 को बसरे ईजलास सुनाया गया।

30.10.19

(डॉ. गौरव सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2019.11.05 14:36:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: